

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500



FIVE HUNDRED
RUPEES

पाँच सौ रुपये





सत्यमेव जयते

RS. 500

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

956093



यह विक्रय पत्र आज दिनांक 15 फरवरी 2008 को श्री अशोक चौधरी आयु 28 साल पुत्र श्री नानगराम चौधरी, जाति जाट, निवासी 67-ए-1, सिवाड, बापू नगर, जयपुर, जिला जयपुर राजस्थान का है। जिसे इस विक्रय पत्र में "विक्रेता" प्रथम पक्ष शब्द से सम्बोधित किया गया है की और

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

.....2

सब रजिस्ट्रार, जयपुर
तृतीय

1/2/1
 176/जयपुर/2002-2003 कार्यालय
 आरजे-ए वाम रेनवाल भाजी तहसील फागी, जिला जयपुर जरिये सचिव श्री मंगलचन्द
 शायदव आयु 33 साल पुत्र श्री सोहन लाल यादव जाति अहीर निवासी ग्राम नाढ
 पीथावास, तहसील व जिला जयपुर, राजस्थान का है जिसे इस विक्रय पत्र में केता
 द्वितीय पक्ष शब्द से सम्बोधित किया गया है जिसकी शर्तों से दोनो पक्षों के
 उत्तराधिकारी, वारिसान, प्रतिनिधी आदि सभी पूर्ण रूप से पाबन्ध रहेमें के मध्य में लेख
 पत्र निम्न प्रकार लेखबद्ध है:-

जो कि ग्राम रेनवाल, पटवार हल्का रेनवाल, तहसील फागी, जिला जयपुर, में
 जयपुर में कृषि भूमि स्थित है जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

| सारिणी | खसरा नम्बर | रकबा | किस्म |
|--------------|------------|---------------------------|----------|
| कं. सं. 1 | 2889 / 1 | 2 बीघा 12 बिस्वा | वारानी-2 |
| कुल किता 1 | | कुल रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा | |

उपरोक्त सारिणी के अनुसार स्थित खसरा नम्बर 2889/1 रकब 2 बीघा 12 बिस्वा
 कुल किता 1 कुल रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा है जिसके सम्पूर्ण की खातेदारी प्रथम पक्ष
 विक्रेता के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज व अंकित है। उक्त उल्लेखित आराजी का
 प्रथम पक्ष विक्रेता एकमात्र मालिक, स्वामी, काबिज अधिकारी है। इस विक्रय पत्र द्वारा
 उक्त उल्लेखित आराजी सारिणी के अनुसार स्थित खसरा नम्बर 2889/1 रकब 2 बीघा
 12 बिस्वा कुल किता 1 कुल रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा मे से 1 बीघा 1 बिस्वा भूमि का
 विक्रय किया जा रहा है। उक्त उल्लेखित विक्रित आराजी प्रत्येक प्रकार के झगड़े-टन्टा,
 ऋणादि के भार, कर्जा, कूकी, रहन, विक्रय, जमानत, पुण्य, बैंक ऋणादि से सर्वथा मुक्त
 है। उक्त विक्रित आराजी को प्रथम पक्ष ने आज से पूर्व किसी भी व्यक्ति, या संस्था
 को विक्रय, या बख्शीश नही कर रखी है तथा उक्त आराजी पूर्णतया पाक व साफ है।
 प्रथम पक्ष को उक्त आराजी को हर प्रकार से काम में लेने के सम्पूर्ण स्वत्वोधिकार प्राप्त
 है।

M. J. J.

यह है कि प्रथम पक्ष को अपनी निजी व पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रुपये की आवश्यकता है इसलिए प्रथम पक्ष द्वारा उक्त उल्लेखित आराजी खसरा नम्बर 2889/1 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा कुल किता 1 कुल रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा में से 1 बीघा 1 बिस्वा भूमि के कृषि एवं खातेदारी हक हकूक को मय बोल, चुल, घानी, पूला, बुलादि सहित अपने सम्पूर्ण स्वत्वों व अधिकारों सहित के बिना रखे किसी हक व अन्न के बहिरीयत दरोबस्त के मुबलिक 4,00,000/-रुपये अक्षरे चार लाख रुपये की एवज में द्वितीय पक्ष केता मानसी विल्डन शिक्षा समिति रजिस्टर्ड नम्बर 176/जयपुर/2002-2003 कार्यालय ऑफिस ग्राम रेनवाल माजी, तहसील फानी, जिला जयपुर जरिये सयिव श्री मंगलचन्द यादव आयु 33 साल पुत्र श्री सोहन लाल यादव जाति अहीर निवासी ग्राम बाढ पीथावास, तहसील व जिला जयपुर, राजस्थान के हित में कटाई विक्रय कर दिया है। तथा रकम विचोती की सम्पूर्ण राशि निम्न प्रकार बैंको द्वारा प्राप्त कर ली है:-

| क्र. सं. | बैंक नम्बर | बैंक का नाम | राशि | दिनांक |
|----------|------------|---|------------|----------|
| 1 | 005581 | सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बड के बालाजी, जयपुर | 2,00,000/- | 05-04-08 |
| 2 | 005582 | सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बड के बालाजी, जयपुर | 2,00,000/- | 09-04-08 |

इस प्रकार रकम विचोती की सम्पूर्ण राशि 4,00,000/-रुपये अक्षरे चार लाख रुपये उक्त बैंको द्वारा उक्त केता से प्राप्त करके उक्त आराजी का कब्जा मौके पर उक्त केता को सम्भला दिया है। अब विक्रय मुल्य राशि में से कुछ भी लेना शेष नहीं रहा है। और विक्रय की गयी कृषि भूमि पर द्वितीय पक्ष केता का वास्तविक व भौतिक कब्जा मालिकाना रूप से करवा दिया है

यह है कि अब द्वितीय पक्ष केता विक्रय की गई कृषि भूमि पर प्रथम पक्ष के समान ही मालिक, काबिज स्वामी, व अधिकारी, हो गया है व रहेगा।

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

..... 4

जो-जो अधिकार विक्रय की गई कृषि भूमि पर प्रथम पक्ष को प्राप्त थे वे समस्त अधिकार अब द्वितीय पक्ष को प्राप्त हो गये हैं व रहेगें व द्वितीय पक्ष क्रेता उक्त सम्पत्ति को चाहे जैसे काम में लेवे उपयोग व उपभोग करे, रहन, विक्रय, बक्शीश आदि कर फायदे उठावें। जिसमें प्रथम पक्ष व उसके उत्तराधिकारीयों व वारिसानों, स्थानापन्नो आदि को कोई उज्र या आक्षेप करने का अधिकार नहीं होगा।

यह है कि द्वितीय पक्ष इस विक्रय पत्र के आधार पर द्वितीय पक्ष क्रेता अपने स्वयं के नाम से नामान्तकरण खुलवा सकेगा। जिसमें यदि द्वितीय पक्ष क्रेता को प्रथम पक्ष के हस्ताक्षरों या उसके स्वयं के उपस्थित होने की आवश्यकता हुई तो प्रथम पक्ष बिना उज्र व आपत्ति के अपना पूर्ण लिखित व मौखिक सहयोग देने के लिए पाबंध रहेगा।

यह है कि विक्रय की गई कृषि भूमि जिसका कोई भी भाग द्वितीय पक्ष क्रेता के अधिकार से निकल जावे या द्वितीय पक्ष क्रेता को प्रथम पक्ष की ओर का कोई ऋण भार, सरकारी व जन साधारण का वहन करना पडे तो द्वितीय पक्ष क्रेता को अधिकार होगा कि वह ऐसी सम्पूर्ण हानि प्रथम पक्ष की चल व अचल सम्पत्ति से एकमुश्त वसूल कर लेवे, इसमें प्रथम पक्ष को किसी प्रकार की आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा।

यह है कि विक्रय की जा रही कृषि भूमि पर आज से पूर्व का कोई ऋण भार, सरकारी व जन साधारण का बकाया निकलेगा तो उसकी अदायगी की जिम्मेदारी प्रथम पक्ष होगी तथा आज से पश्चात की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष क्रेता की होगी।

यह है कि इस विक्रय पत्र द्वारा 1 बीघा 1 बिस्वा भूमि का विक्रय किया गया है। जो मौके पर बटवारा कर विक्रय की गई है जिसकी नाप पूर्व-पश्चिम उत्तर की ओर 218 फीट, दक्षिण की ओर 223 फीट, तथा उत्तर-दक्षिण पूर्व की ओर 130 फीट, व पश्चिम की ओर 132 फीट है जिसकी चारो सीमाओं में पूर्व की ओर प्रथमपक्ष की स्वयं की भूमि, पश्चिम की ओर सरकारी भूमि के बाद फागी रोड, उत्तर की ओर अन्य की भूमि, तथा दक्षिण की ओर रामचन्द्र जाट, श्योचन्द जाट व मंगल चन्द यादव द्वारा उक्त खसरा में से खरीद की गई भूमि स्थित है। जिसको संलग्न नक्शों में पीले रंग से चिन्हित किया गया है।

यह है कि उक्त विक्रित आराजी मौके पर ग्राम की मुख्य रोड फागी रोड के सरकारी भूमि ^{300 मीटर} छोड़कर स्थित है तथा ग्राम की मुख्य आवादी से लगभग 500 मीटर की दूरी पर स्थित है तथा आसपास कोई वाणिज्य व औद्योगिक इकाई स्थित नहीं है।

Banwar


M. Chelav

सब रजि. र. जयपुर


1/5/11

अहं कि खर्चा समस्त प्रकार का विक्रय पत्र सम्बन्धी द्वितीय पक्ष के जिम्मे लय पाया गया जो द्वितीय पक्ष ने अलावा विक्रय मूल्य धन राशि वहन किया है।

अतः यह विक्रय पत्र दोनो पक्षो ने राजी-खुशी, होश हवास में बिना किसी नश पते के स्वस्थ चित्त अवस्था में बिना किसी अनुचित दबाव के 500 रुपये के एक किता स्टाम्प पर व चार किता पेपरों पर पढ व सुन व समझकर अपने हस्ताक्षरों से निम्न गवाहान के समक्ष तहरीर व तकमील कर दिया है ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत काम आवे। इति दिनांक 15-02-2008 ईस्वी।


हस्ताक्षर विक्रेता- 

 हस्ताक्षर कला-


हस्ताक्षर गवाह - 

1. रमेश कुलरिया पुत्र श्री छीतरमल कुलरिया जाति जाट, निवासी ग्राम महेशवास कंला, तहसील आमर, जिला जयपुर।

2. रामरवरूप जाट पुत्र श्री पाचूराम जाति जाट निवासी ग्राम लाल्या का वास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।



सिव राजेंद्र, जयपुर
तृतीय

प्रारूपकर्ता


रतन चौधरी एडवोकेट

मो.-9351152207


संख्या ३२५ ग्रा. सं. काठल वरु काशी जिलापुर



३५ हजार १८२१
 ५१२१०८
 कौशिकी/पहा
 ५१२१०८
 ५१२१०८

अन्य

[Signature]



राजस्थान RAJASTHAN

320078



॥ श्री ॥

विक्रय-पत्र

विक्रेतागण का नाम व पता :- रामचन्द्र पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति जाट आयु 36 वर्ष निवासी लाल्या का बास तहसील सांगानेर, श्योचन्द पुत्र सुरज्ञानमल जाति जाट आयु 38 वर्ष निवासी बीड ढाथोज तहसील जयपुर जिला जयपुर, मंगलचन्द यादव पुत्र सोहनलाल यादव जाति अहीर आयु 37 वर्ष निवासी बाढ पीथावास तहसील जयपुर जिला जयपुर राजस्थान राज्य के है । जो कि इस दस्तावेज में विक्रेतागण एवं प्रथम पक्ष से सम्बोधित है ।

राजस्थान
जयपुर

सोचन
यादव


लगातार..... 2

साक्षि

मानसी विल्लु 1 जिला समिती
जयपुर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000
पच्चीस हजार रुपये






Rs.
25000
TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES


राजस्थान RAJASTHAN


320079

(2)

क्रेता का नाम व पता:- मानसी चिल्ड्रन शिक्षा समिति, रजिस्टर्ड
नं. 176/जयपुर/2002-03 कार्यालय ऑफिस ग्राम रेनवाल मांजी
तहसील फागी जिला जयपुर जरिये सचिव श्री मंगलचन्द यादव पुत्र
श्री सोहनलाल यादव जाति अहीर आयु 37 वर्ष निवासी ग्राम बाढ
पीथावास तहसील जयपुर जिला जयपुर राजस्थान के है । जो कि
इस दस्तावेज में क्रेता एवं द्वितीय पक्ष से सम्बोधित हैं ।

 लगातार.....3
सचिव
मानसी चिल्ड्रन शिक्षा समिति
रेनवाल मांजी, फागी जयपुर


उप न्यायिक
फागी (जयपुर)

भारतीय रिजर्व बैंक (भारतीय रिजर्व बैंक)

₹ 25000

भारतीय रिजर्व बैंक



Rs. 25000

भारतीय रिजर्व बैंक

भारतीय रिजर्व बैंक

₹ 25000

₹

191

₹

विवरण की गई जानकारी का विवरण - कि कि रूप में
प्रतिफल प्रदान किया जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक
की सूची में विवरण विवरण विवरण है-

₹


विवरण

₹

| क्र. सं. | विवरण | रकम | विवरण | रकम |
|----------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | ₹ 25000 | ₹ 25000 | ₹ 25000 | ₹ 25000 |

₹

कुल विवरण : कुल रकम : ₹ 25000



राजस्थान RAJASTHAN

320080

(3)

विक्रय की गई सम्पदा का विवरण :- जो कि ग्राम रेनवाल पटवार हल्का रेनवाल, तहसील फागी जिला जयपुर में कृषि भूमि स्थित है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

सारिणी

| क्र. सं. | खसरा नम्बर | रकबा | किस्म |
|------------|------------|--------------------------|-------------|
| 1. | 2889/4 | 1 बीघा 1 बिस्वा | बारानी दोयम |
| कुल किता 1 | | कुल रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा | |

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature] लगातार.....4
सचिव
मानसी पिट्टन रिजा समिति
रेनवाल मी.जी. फागी जयपुर

[Handwritten signature]
उप-सचिव
फागी (जयपुर)


भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

₹.

25000

पच्चीस हजार रुपये



INDIA

Rs.

25000




TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES


राजस्थान RAJASTHAN


320081

(4)




उक्त वर्णित सारिणी के अनुसार कुल किता 1 कुल रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा भूमि सम्पूर्ण विक्रय की है । भूमि सडक सांगानेर-मालपुरा से करीबन 300 मीटर दूर व गांव से करीबन 500 मीटर दूर है । एका असिंचित है ।








 लगातार.....5
मानसी मिल्हन शिवा समिति
रेनवाल गौजी फासी (जयपुर)


उप प्रशासक
फागी (जयपुर)

अन्य विवरण:- यह सम्पदा सभी टन्टो झगडों से मुक्त है एवं पूर्व में किसी अन्य व्यक्ति के रहन/बैचान आदि में नहीं की है । उपरोक्त वर्णित आराजी पूर्व में किसी भी संस्था/राज या जन साधारण के रहन नहीं है । यानि सब प्रकार के कर भारों से मुक्त व निर्दोष है। उपरोक्त वर्णित आराजी पर किसी भी अदालत द्वारा स्थगन आदेश/मुकदमा लम्बित नहीं है यदि कोई होगा तो उसकी पूर्ण जिम्मेदार हमारी विक्रेतागणों की होगी । हमें अपने घरू कार्य वास्ते रूपयों की सख्त आवश्यकता होने के कारण उपरोक्त वर्णित आराजी भूमि को विक्रय करना चाहते हैं । तथा विक्रय करने में कोई आपत्ति नहीं हैं । अतःएव हमने हमारी स्वेच्छा से उपरोक्त वर्णित आराजी ख.नं. 2889/4 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा बारानी दायम भूमि सम्पूर्ण को हमारे समान हक खातेदारी हक काश्त मय कुल हक हकूक बौल सौल पानी पुला मेर कोर इत्यादि सहित के तादादी 7,00,000/-रू0 अक्षरे सात लाख रूपयो में क्रेता मानसी चिल्ड्रन शिक्षा समिति, रजिस्टर्ड नं. 176/जयपुर/2002-03 कार्यालय ऑफिस ग्राम रेनवाल मांजी तहसील फागी जिला जयपुर जरिये सचिव श्री मंगलचन्द यादव पुत्र श्री सोहनलाल यादव जाति अहीर निवासी ग्राम बाढ पीथावास तहसील जयपुर जिला जयपुर राजस्थान को विक्रय कर दी है तथा विक्रय मूल्य की सम्पूर्ण धनराशि उपरोक्त क्रेता से चुकति नकद प्राप्त कर मौके पर विक्रय










 लगातार.....6

 माननीय निलयन से सचिव
 रेनवाल मांजी तहसील जयपुर



 सचिव
 फागी (जयपुर)

शुदा आराजी पर क्रेता का कब्जा हमारे समान करा दिया है । अब उक्त बैचान भूमि से हमारा या हमारे परिवार के किसी भी सदस्य या प्रतिनिधि का कोई हक व सम्बन्ध नहीं रहा है और न भविष्य में रहेगा । वर्तमान में भूमि कृषि उपयोग में आ रही है । अब भविष्य में क्रेता उक्त विक्रय शुदा आराजी का उपयोग किसी भी कार्य में करने के लिये स्वतंत्र होगा । क्रेता स्वयं इस विक्रय पत्र से अपने नाम नामान्तकरण तस्दीक करा लेवे । इसमें हम विक्रेतागण स्वयं क्रेता का पूरा पूरा सहयोग करेंगे । यदि हमारी किसी कमी के कारण क्रेता को बैचान भूमि के बाबत कोई हर्जा खर्चा होगा तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी हमारी विक्रेतागण की होगी तथा हम विक्रेतागण स्वयं क्रेता को हर्जे खर्चे की राशि सहित विक्रय मूल्य की सम्पूर्ण धनराशि के देनदार रहेंगे । क्रेता जिस प्रकार भी चाहे हमारी अन्य चल अचल सम्पत्ति से वसुल कर सकता है । इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं होगी । रजिस्ट्रेशन का खर्चा स्वयं क्रेता ने वहन किया है । इस बैचान में हमारे सभी उत्तराधिकारियों को भी सम्मिलित माना जावे बैचान से प्राप्त प्रतिफल सभी उत्तराधिकारियों के उपयोग एवं उपभोग में लिया गया है । इस बैचान सम्पदा बाबत जो हक स्वामित्व हम विक्रेतागणों को प्राप्त था अब क्रेता को प्राप्त होगा । हम शपथ पूर्वक घोषणा करते हैं कि विक्रय की गई सम्पदा

लगातार.....7


 वागा (जयपुर)




(7)

हमारे स्वामित्व की है राजकीय/सार्वजनिक सम्पदा नहीं है । अतः यह विक्रय पत्र हमने हमारी राजी खुशी होश हवाश स्वस्थ चित्त स्थिर बुद्धि की अवस्था मे बिना नशा बिना किसी दबाव व बिना किसी आग्रह की अवस्था में 1,00,000/- रु. के 4 स्टाम्प व तीन पेपर पर लिखवा दिया कि सनद रहे । समय पर काम आवे ।
दिनांक 23-07-2012 ई.।

हस्ताक्षर क्रेता

मानसी चिल्ड्रन शिक्षा समिति
रेनवाल मीर्जा फागी (जयपुर)

हस्ताक्षर विक्रेतागण

गवाह नं. 1:- गिराज पुत्र रामकरण जाति जाट ~~गिराज पुत्र रामकरण~~

आयु 38 वर्ष निवासी रेनवाल तहसील फागी

गवाह नं. 2:- कानाराम पुत्र श्रीनारायण जाति जाट आयु 40 वर्ष

निवासी रेनवाल तहसील फागी


~~कानाराम पुत्र श्रीनारायण~~

गवाह पत्र लखना

श्री ०० कुमार जैन
तहसील-फागी (जयपुर)
तारीख २-02-99

23.7.2012


246
212


उप पंजीयक
फागी (जयपुर)

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000

पच्चीस हजार रुपये



Rs.
25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

राजस्थान RAJASTHAN

320029



॥ श्री ॥

विक्रय-पत्र

विक्रेती का नाम व पता :- नन्दू देवी पत्नि उदाराम जाति जाट
आयु 77 वर्ष निवासी हरिरामपुरा तहसील फागी जिला जयपुर
राजस्थान राज्य की हूँ । जो कि इस दस्तावेज में विक्रेती एवं प्रथम
पक्ष से सम्बोधित है ।

निः-नन्दू देवी



M. J. J.
सचिव
मानसी सिल्लडन शिवा सनिति
रेनवाल मौर्जा फागी जयपुर

लगातार.....2

[Signature]
सचिव
मानसी सिल्लडन शिवा सनिति
रेनवाल मौर्जा फागी जयपुर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

₹.
25000
पच्चीस हजार रुपये




Rs.
25000
TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

राजस्थान RAJASTHAN

320030

(2)

क्रेता का नाम व पता:— मानसी चिल्ड्रन शिक्षा समिति, रजिस्टर्ड नं० 176/जयपुर/2002-03 कार्यालय ऑफिस ग्राम रेनवाल मांजी तहसील फागी जिला जयपुर जरिये सचिव श्री मंगलचन्द यादव पुत्र श्री सोहनलाल यादव जाति अहीर आयु 37 वर्ष निवासी ग्राम बाढ पीथावास तहसील जयपुर जिला जयपुर राजस्थान के है । जो कि इस दस्तावेज में क्रेता एवं द्वितीय पक्ष से सम्बोधित हैं ।



निः नन्द देवी

M. Jaalup
सोपस

मानसी चिल्ड्रन शिक्षा समिति
रेनवाल मांजी फागी जयपुर

लगातार.....3

उप निचय
फागी (जयपुर)

(3)

विक्रय की गई सम्पदा का विवरण :- जो कि ग्राम रेनवाल पटवार हल्का रेनवाल, तहसील फागी जिला जयपुर में कृषि भूमि स्थित है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

सारिणी

| क्र. सं. | खसरा नम्बर | रकबा | किस्म |
|------------|------------|-----------------|-------------|
| 1. | 3123/3479 | 6 बीघा | बारानी सोयम |
| कुल किता 1 | | कुल रकबा 6 बीघा | |

उक्त वर्णित सारिणी के अनुसार कुल किता 1 कुल रकबा 6 बीघा भूमि में से हिस्सा 25/120 अर्थात् 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि विक्रय की है। भूमि सडक सांगानेर-मालपुरा व गांव से करीबन 3 किलोमीटर दूर है। एवं अर्सेंचित है।

अन्य विवरण:- यह सम्पदा सभी टन्टो झगडों से मुक्त है एवं पूर्व में किसी अन्य व्यक्ति के रहन/बैचान आदि में नहीं की है। उपरोक्त वर्णित आराजी पूर्व में किसी भी संस्था/राज या जन साधारण के रहन नहीं है। यानि सब प्रकार के कर भारों से मुक्त व निर्दोष है।

लगातार.....4

नि: मन्दू देवी

सचिव
मानसी चिल्ड्रेन की समिति
रेनवाल नॉन् प्रोफिट जयपुर

उप नि: मन्दू देवी
फागी जयपुर

विक्रय की गई सम्पदा का विवरण :- जो कि ग्राम रेनवाल पटवार हल्का रेनवाल, तहसील फागी जिला जयपुर में कृषि भूमि स्थित है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

सारिणी

| क्र. सं. | खसरा नम्बर | रकबा | किस्म |
|----------|------------|--------|-------------|
| 1. | 3123/3479 | 6 बीघा | बारानी सोयम |

कुल किता 1

कुल रकबा 6 बीघा

उक्त वर्णित सारिणी के अनुसार कुल किता 1 कुल रकबा 6 बीघा भूमि में से हिस्सा 25/120 अर्थात् 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि विक्रय की है। भूमि सडक सांगानेर-मालपुरा व गांव से करीबन 3 किलोमीटर दूर है। एवं असिंचित है।

अन्य विवरण:- यह सम्पदा सभी टन्टो झगडों से मुक्त है एवं पूर्व में किसी अन्य व्यक्ति के रहन/बैचान आदि में नहीं की है। उपरोक्त वर्णित आराजी पूर्व में किसी भी संस्था/राज या जन साधारण के रहन नहीं है। यानि सब प्रकार के कर भारों से मुक्त व निर्दोष है।

लगातार.....4

नि: नन्द देवी

M. Adal

सचिव
मातरी पिल्ल
रेनवाल नो.
जयपुर

उप
फागी जयपुर

समान करा दिया है । अब उक्त बैचान भूमि से मेरा या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य या प्रतिनिधि का कोई हक व सम्बन्ध नहीं रहा है और न भविष्य में रहेगा । वर्तमान में भूमि कृषि उपयोग में आ रही है । अब भविष्य में क्रेता उक्त विक्रय शुदा आराजी का उपयोग किसी भी कार्य में करने के लिये स्वतंत्र होगा । क्रेता स्वयं इस विक्रय पत्र से अपने नाम नामान्तकरण तस्दीक करा लेवे । इसमें मैं विक्रेती स्वयं क्रेता का पूरा पूरा सहयोग करूंगी । यदि मेरी किसी कमी के कारण क्रेता को बैचान भूमि के बाबत कोई हर्जा खर्चा होगा तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी मुझ विक्रेती की होगी तथा मैं विक्रेती स्वयं क्रेता को हर्जे खर्चे की राशि सहित विक्रय मूल्य की सम्पूर्ण धनराशि का देनदार रहूंगी । क्रेता जिस प्रकार भी चाहे मेरी अन्य चल अचल सम्पत्ति से वसुल कर सकता है । इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी । रजिस्ट्रेशन का खर्चा स्वयं क्रेता ने वहन किया है । इस बैचान में मेरे सभी उत्तराधिकारियों को भी सम्मिलित माना जावे बैचान से प्राप्त प्रतिफल सभी उत्तराधिकारियों के उपयोग एवं उपभोग में लिया गया है । इस बैचान सम्पदा बाबत जो हक स्वामित्व मुझ विक्रेती को प्राप्त था अब क्रेता को प्राप्त होगा । मैं शपथ पूर्वक घोषणा करती हूँ कि विक्रय की गई सम्पदा मेरे स्वामित्व की है राजकीय / सार्वजनिक सम्पदा नहीं है । अतः यह -

लगातार.....6

Madal
मदाल

मानसी विकास विद्या समिति
रेनवाला रोड़ी जयपुर


नि.:- नन्दू देवी




h
उप. प. वी. व. क.
जयपुर

(6)

विक्रय पत्र मैने मेरी राजी खुशी होश हवाश स्वरथ वित्त स्थिर बुद्धि की अवस्था मे बिना नशा बिना किसी दवाव व बिना किसी आग्रह की अवस्था में 50,000/- रु. के 2 स्टाम्प व चार पेपर पर लिखवा दिया कि सनद रहे । समय पर काम आवे । दिनांक 23-07-2012 ई.।


हस्ताक्षर क्रेता स्थित
मागरी विक्रय शिक्षा समिति
रेवाण्डा, सांगानेर (जयपुर)


हस्ताक्षर विक्रेता


गवाह नं. 1:- गिराज पुत्र रामकरण जाति जाट


आयु 38 वर्ष निवासी रेनवाल तहसील फागी

गवाह नं. 2:-रामचन्द्र जाट पुत्र स्व0 श्री लक्ष्मीनारायण जाट जाति

जाट आयु 37 वर्ष निवासी लाल्या का बास तहसील

सांगानेर जिला जयपुर


नोति पत्र लेख
बस कुमार बंस 245
सांगानेर (जयपुर) 212
23.7.2012


राम पंडीत
फागी (जयपुर)